संख्या– 249/XVI(1)/11/7(4)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च,2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–557/1–1(102)/2010–11,दिनांक–18–02–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31(टी0एस0पी0) के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत उद्यान विभाग से सम्बन्धित राज्य सैक्टर की योजना 04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण के उप लेखाशीर्षक 42–अन्य व्यय में प्राविधानित बजट की अवशेष धनराशि ₹–50,000.00 (₹ पचास हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) इस धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किस्तों के रूप में किया जायेगा।

(3) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010,दिनांक–30.03.2010 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रक्योरमेन्ट रूल्स,2008,वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत निर्देशों तथा अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है,साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(7) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को योजनावार अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर प्रत्येक माह वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(9) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा मे संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नही की जायेगी।

कमशः–2

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय,कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय, साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय,जिससे कार्यक्रम कियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

(11) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।

(12) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण–42–अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

(13) यह आदेश वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–434(P)/XXVII(1)/2010, दिनांक–01 मार्च,2011 के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुकम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–२५१ /XVI(1)/11/7(4)/10 तददिनांक,

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।